न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **120/2025** अन्तर्गत धारा **88 RT Act.**

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार 2. डिम्पल कुमारी पुत्री प्रदीप कुमार 3. मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार जाति दर्जी, निवासी नीम्बला हाल निवासी रेबारियों की ढाणी करड़ा रोड़ तहसील भीनमाल, जिला जालोर		1 गोविन्द कुमार पुत्र लुम्बाराम 2 बंशीलाल पुत्र लुम्बाराम 3 शांतीदेवी पत्नी गिरधारीराम, जाति दर्जी निवासी नीम्बला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4 अशोककुमार पुत्र शंकरलाल 5 उगाराम पुत्र शंकरलाल 6 ओमकार पुत्र नखाराम 7 कुंपाराम पुत्र नखाराम 8 किशनलाल पुत्र नखाराम 9 गेनाराम पुत्र शंकरलाल 10 छगनाराम पुत्र हेमाराम 11 जेठाराम पुत्र हेमाराम 12 जैसाराम पुत्र हजारीराम 13 ताजूदेवी पत्नी शंकरलाल 14 तीजोंदेवी पत्नी नखताराम 15 तीजोंदेवी पत्नी शंकरलाल 16 थानाराम पुत्र शंकराराम 17 दरिया पुत्र नखाराम 18 दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल 19 धर्माराम पुत्र केशराराम 20 नगाराम पुत्र ताराराम 21 पेमाराम पुत्र शंकराराम 22 पेमाराम पुत्र केसराराम 23 फरसाराम पुत्र नखाराम 24 बंशीलाल पुत्र हजारीराम 25 बंशीलाल पुत्र लुम्बाराम 26 बाबूलाल पुत्र नखाराम 27 मेघाराम पुत्र नखाराम 28 राणाराम पुत्र हेमाराम 29 रीजूराम पुत्र नखाराम 30 लक्ष्मणराम पुत्र शंकरलाल 31 लहरी पत्नी नखाराम 32 शांतिदेवी पत्नी गिरधारीराम 33 सुजानाराम पुत्र जगूराम 34 सवाईराम पुत्र ताराराम 35 सवाईराम पुत्र केशराराम 36 सवाईराम पुत्र हजारीराम 37 हरचंदराम पुत्र केशराराम जाति दर्जी, निवासी नीम्बला, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 38 खेताराम पुत्र समेलाराम 39 ताजाराम पुत्र चेतनराम 40 रतनाराम पुत्र कुशलाराम जाति कुमावत निवासी नारणाणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 41 बैक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता वादीगण — श्री भगवानदास गोयल।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 13.10.2025

संक्षेप में वादीगण के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 741/157, 744/121 रकबा क्रमशः 5.6737, 0.8417 हैक्टेयर तथा मौजा हेमानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 311 रकबा 31.3955 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण को उनके पिता/पति पदमाराम उर्फ प्रदीप कुमार के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता/पति के देहांत के 09 वर्ष बाद विरासती नामांतरकरण पारित करवाया गया जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के अशुद्व नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र पदमाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम का अंकन कर दिया गया जबकि वादीगण के सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, डिम्पल कुमारी पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के नाम इससे खुले हुए है। वर्तमान में वादीगण का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादीगण के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में उनके सही एवं वास्तविक नाम दर्ज है। साथ ही वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादीनी संख्या 3 के पति पदमाराम उर्फ प्रदीप कुमार का मृत्यू प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी में स्वयं तथा अपनी माता के सही नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:32:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

पदमाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, डिम्पल कुमार पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

दौरान बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीगण के गलत नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र पदमाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, डिम्पल कुमार पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र पदमाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम दर्ज है, जबकि वादपत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि में वादीगण के नाम क्रमशः जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, डिम्पल कुमार पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार दर्ज है। वादपत्र के संलग्न वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादीनी संख्या 3 के पति का मृत्यू प्रमाण में उनका नाम पदमाराम उर्फ प्रदीप कुमार होना पाया गया है।

वादी संख्या 1 द्वारा अपने नामों की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादीगण के नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र पदमाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम के स्थान पर क्रमशः जूजेन्द्र कुनार पुत्र प्रदीप कुमार, डिम्पल कुमार पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार किये जाने का निवेदन किया गया है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र पदनाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम के स्थान पर क्रमशः जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुनार, डिम्पल कुमार पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 741/157, 744/121 रकबा क्रमशः 5.6737, 0.8417 हैक्टेयर तथा मौजा हेमानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 311 रकबा 31.3955 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीगण के नाम क्रमशः जुंजाराम पुत्र पदमाराम, डिम्पल पुत्री पदमाराम, मीनादेवी पत्नी पदमाराम के स्थान पर क्रमशः जूजेन्द्र कुमार पुत्र प्रदीप कुमार, डिम्पल कुमार पुत्री प्रदीप कुमार, मीनादेवी पत्नी प्रदीप कुमार होना घोषित किये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:32:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)